

कार्यालय नगर पंचायत, रेनुकूट-सोनभद्र ।

पत्रांक- 175 /रेनुकूट/

दिनांक, रेनुकूट, जनवरी, 02/01/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग
रेनुकूट-सोनभद्र ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत पिपरी रेंज में नगर पंचायत रेनुकूट द्वारा जोकाही वन ब्लाक, मुर्धवा दक्षिणी बीट कम्पार्टमेन्ट नम्बर 14 में अस्पताल, विद्यालय, सामुदायिक भवन, पेयजल आपूर्ति हेतु पानल टंकी एवं आर0ओ0 व शौचालय निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.9594 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं प्रभावित 65 वृक्षों के पातन की अनुमति संबंधी ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/DISP/49674/2020 से संबंधित हार्ड कापी प्रस्तुत किये जाने के संबंध में ।

संदर्भ:- परिवेश पोर्टल से प्राप्त टाईम लाईन के अनुसार ऑनलाईन प्रस्ताव की हार्ड कापी प्रस्तुत किये जाने के संबंध में ।


महोदय,

अवगत कराना है कि अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रेनुकूट द्वारा विषयगत प्रयोजन हेतु परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/DISP/49674/2020 अपलोड किया गया है । उक्त प्रस्ताव की हार्ड कापी प्रस्तुत करने हेतु मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 संरक्षण द्वारा परिवेश पोर्टल के माध्यम से सहमति प्रदान की गयी है ।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में विषयगत ऑनलाईन प्रस्ताव की पाँच प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति करने हेतु प्रस्तुत है ।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार पाँच प्रति ।

L.T.
आ04/07/21
नरेश
15/01/2021
रेनुकूट
02/01/2021



भवदीय
02/01/2021
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत रेनुकूट
सोनभद्र

कार्यालय नगर पंचायत, रेनुकूट-सोनभद्र

पत्रांक : / न0पं0रे0 / 2020-21

दिनांक : 2021

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
सोनभद्र।

विषय :- वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अर्न्तगत प्रस्तुत किये जाने वाले वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न किये जाने वाले वन अधिकार अधिनियम 2006 के अर्न्तगत प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- नगर पंचायत रेनुकूट बोर्ड की बैठक दिनांक 28.08.2018

महोदय,

निवेदन के साथ अवगत कराना है कि नगर पंचायत रेनुकूट-सोनभद्र बोर्ड की बैठक दिनांक -28.08.2018 को सम्पन्न हुयी थी। उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि "नगर पंचायत रेनुकूट के अर्न्तगत वार्ड नं0-03 धरिंकार बस्ती के बगल में खाली पड़ी वन भूमि को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर वहां पर कार्यदायी संस्था नगर पंचायत रेनुकूट के द्वारा अस्पताल, विद्यालय, सामुदायिक भवन, पेय जल आपूर्ति हेतु पानी टंकी एवं आर0ओ0 व शौचालय आदि का निर्माण किया जाय।"

बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अर्न्तगत आप के स्तर से जारी प्रमाण पत्र लगाया जाना है।

अतः आप से अनुरोध है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेन्ज अर्न्तगत प्रस्तावित वन भूमि 0.9594 हे0 जोकाही वन ब्लाक एवं मुर्धवा दक्षिणी वीट कम्पार्टमेंट नम्बर-14अ के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें ताकि वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सके।

संलग्नक :- प्रमाण-पत्र।

भवदीय,

अधिशायी अधिकारी

नगर पंचायत,

रेनुकूट-सोनभद्र



0/c

Madav